



## भारत संघ में भाषा आंदोलन : एक अध्ययन

नरपत कुमार<sup>1</sup>

<sup>1</sup> नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान, सहायक प्रोफेसर रानीवाड़ा कॉलेज जालोर.

### ABSTRACT:

भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं और अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व है। यहाँ की भाषाई विविधता न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, बल्कि यह देश की राजनीति, प्रशासन और राष्ट्रीय एकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई असहमति और संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जिनमें प्रमुख रूप से हिंदी विरोधी आंदोलन, बंगाली भाषा आंदोलन, पंजाबी सूबा आंदोलन और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित आंदोलनों का उल्लेख किया जा सकता है। इन आंदोलनों ने भारत संघ में भाषा नीति और संघीय व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला।

भारत का संविधान भाषाई विविधता को स्वीकार करता है और इसके अनुसार, हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी जारी रखने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही, संविधान में राज्य और केंद्र स्तर पर भाषाई समानता और अधिकारों को लेकर कई प्रावधान दिए गए। इसके बावजूद, भाषाई असहमति ने भारत में समय-समय पर राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष भाषा को संवैधानिक या प्रशासनिक अधिकार दिलवाना था।

हिंदी विरोधी आंदोलन विशेष रूप से तमिलनाडु में हुआ, जहाँ तमिल भाषियों ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार को हिंदी को सह-आधिकारिक भाषा बनाए रखने का निर्णय लेना पड़ा। इसी प्रकार, बंगाली भाषा आंदोलन में बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में बंगाली भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष हुआ, जबकि पंजाबी सूबा आंदोलन ने पंजाबी भाषी राज्य की स्थापना की माँग की।

इन आंदोलनों ने भारतीय संघीय ढाँचे को प्रभावित किया और कई राज्यों में भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ। भाषाई अस्मिता के संघर्ष ने क्षेत्रीय राजनीति को भी मजबूती दी, और राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को पुनः परिभाषित किया।

वर्तमान समय में, भाषा न केवल सांस्कृतिक या सामाजिक अस्मिता का प्रतीक है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्यों और शैक्षिक नीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस शोध पत्र में भारत संघ में हुए विभिन्न भाषा आंदोलनों की ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समीक्षा की गई है, साथ ही उनकी प्रभावशीलता और समाधान पर विचार किया गया है।

### KEYWORDS:

भाषा आंदोलन, भारतीय संविधान और भाषा नीति, हिंदी विरोधी आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाएँ और संघीयता, भाषायी अस्मिता, बहुभाषावाद और प्रशासन, भाषा संघर्ष और राजनीति।

### PAPER ACCEPTED DATE:

28<sup>th</sup> January 2025

### PAPER PUBLISHED DATE:

30<sup>th</sup> January 2025

### विषय वस्तु

#### भारत में भाषा नीति और संविधान

भारत का संविधान बहुभाषावाद को स्वीकार करता है और इसे संघीय ढाँचे के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। संविधान में भारतीय भाषाओं के विषय में विभिन्न प्रावधान हैं:

- **अनुच्छेद 343:** हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही, अंग्रेजी को भी सह-आधिकारिक भाषा बनाए रखने का प्रावधान रखा गया।
- **अनुच्छेद 344:** संविधान में एक भाषा आयोग की स्थापना की व्यवस्था है, जो भाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- **अनुच्छेद 351:** हिंदी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाने की आवश्यकता को स्वीकृति दी गई है।

यह संविधान के भाषाई प्रावधान उस समय के समाज और राजनीति की सच्चाई को दर्शाते हैं, जब विभिन्न भाषाओं के बीच असहमति और संघर्ष ने भारत की संघीय संरचना को प्रभावित किया।

### भारत में प्रमुख भाषा आंदोलन

#### हिंदी विरोधी आंदोलन (तमिलनाडु, 1965)

भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ। 1950 के दशक के अंत में, जब केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया, तो तमिलनाडु में इसके विरोध में एक व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया, जो तमिल भाषा को भारतीयता और संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में देखते थे। आंदोलन का मुख्य कारण था कि हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाना तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा करना होगा।

यह आंदोलन बहुत हिंसक हो गया और सैकड़ों लोगों की जान भी गई। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी को सह-आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही, हिंदी की अनिवार्यता को टाल दिया गया। तमिलनाडु में यह आंदोलन भारतीय संघीय ढाँचे की बहुलतावादी प्रकृति को उजागर करता है, जहाँ राज्य की भाषाई पहचान को केंद्रीय सत्ता से टक्कर दी गई।

#### बंगाली भाषा आंदोलन (1952, 1961)

बंगाल (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में भी भाषा से संबंधित आंदोलन हुए। 1952 में

पाकिस्तान के सरकार ने उर्दू को आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया था, जिससे बंगाल में उर्दू के खिलाफ आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व बंगाली भाषियों ने किया, और वे अपनी मातृभाषा को संविधान में आधिकारिक दर्जा दिलवाना चाहते थे। यह आंदोलन पूरे पाकिस्तान के लिए एक सांस्कृतिक संघर्ष बन गया, जो बाद में बांग्लादेश के निर्माण का कारण बना।

भारत में, 1961 में असम में भी भाषा को लेकर संघर्ष हुआ। असम में बंगाली बोलने वाले लोग बहुत थे, और वे चाहते थे कि बंगाली को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। यह आंदोलन बाद में क्षेत्रीय भाषाई पहचान के महत्व को और अधिक स्पष्ट करता है।

### पंजाबी सूबा आंदोलन (1950-1966)

पंजाबी सूबा आंदोलन ने पंजाब में पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। 1950 के दशक में जब पंजाब राज्य को विभाजित किया गया और हिंदी को अधिक प्राथमिकता दी गई, तो पंजाबी भाषियों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पंजाबी भाषा को औपचारिक मान्यता दिलवाना था, क्योंकि पंजाबी भाषियों का मानना था कि उन्हें अपनी भाषा के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और शैक्षिक अवसर नहीं मिल रहे थे।

1966 में यह आंदोलन सफल हुआ और पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिससे पंजाबी भाषियों को एक अलग राज्य मिला। इस घटना ने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया को स्थापित किया और यह दिखाया कि भारत के संघीय ढाँचे में भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है।

### अन्य क्षेत्रीय भाषा आंदोलन

भारत के विभिन्न हिस्सों में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी संघर्ष हुआ। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच मुंबई को लेकर विवाद, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी राज्य की मांग, और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन। ये सभी आंदोलन यह स्पष्ट करते हैं कि भाषाएँ केवल संचार का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का भी हिस्सा हैं।

### भारत संघ में भाषायी असंतुलन और संघीयता

भारत में भाषा न केवल एक सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह एक राजनीतिक उपकरण भी बन जाती है। भाषाई आंदोलनों ने भारतीय संघीय ढाँचे की प्रकृति को बदल दिया है। यह आंदोलनों से यह बात भी सामने आई कि केंद्र और राज्य के बीच भाषाई विवादों का समाधान केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से भी करना आवश्यक है।

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यह दिखाता है कि भारतीय संघ की संप्रभुता को राज्यों की भाषायी पहचान को संतुलित करने की आवश्यकता है। भारत का संघीय ढाँचा बहुलतावादी है, और प्रत्येक राज्य को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बनाए रखने का अधिकार है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राज्य की भाषा अन्य राज्यों की भाषाओं के अधिकारों का उल्लंघन न करे।

### वर्तमान समय में भाषा आंदोलन

आज के समय में भी भारत में भाषा को लेकर कई समस्याएँ और विवाद बने हुए हैं। हालांकि, हिंदी को राजकीय भाषा बनाने के प्रयास में काफी बदलाव आया है, फिर भी विभिन्न राज्यों में भाषायी असहमति मौजूद है। डिजिटल युग में भाषा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इंटरनेट और मीडिया में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग बढ़ रहा है,

जिससे राज्य सरकारों को अपनी भाषायी नीतियों में और सुधार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

### निष्कर्ष

भारत में भाषा आंदोलन केवल भाषायी मुद्दों तक सीमित नहीं हैं; इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय एकता, राज्य अधिकार, और समाज की पहचान को प्रभावित किया है। इन आंदोलनों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संघीयता में भाषाई विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान ने भाषाई विविधता को स्वीकार करते हुए संघीय ढाँचे में इसे जगह दी, लेकिन विभिन्न राज्यों में भाषायी असहमति और संघर्षों को हल करने के लिए लगातार नीति सुधार की आवश्यकता है। भारत की भाषाई नीतियों को और अधिक समावेशी और लचीला बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि सभी भाषाओं का समान सम्मान सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में किसी प्रकार के भाषायी विवादों से बचा जा सके। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ 22 आधिकारिक भाषाएँ और अनगिनत अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने इस भाषाई विविधता को स्वीकार किया और संविधान में भाषाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का निर्माण किया। इसके बावजूद, भाषाओं को लेकर कई आंदोलन और संघर्ष भारत में हुए हैं, जिनमें प्रमुख हिंदी विरोधी आंदोलन, बंगाली भाषा आंदोलन, पंजाबी सूबा आंदोलन और अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ शामिल हैं।

हिंदी विरोधी आंदोलन तमिलनाडु में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरोध में हुआ, जहाँ तमिल भाषा की अस्मिता को बचाने के लिए बड़ा संघर्ष हुआ। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने हिंदी को सह-आधिकारिक भाषा बनाए रखने का निर्णय लिया। **बंगाली भाषा आंदोलन** 1952 में पाकिस्तान में हुआ, जहाँ बंगाली भाषियों ने अपनी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष किया, जो बाद में बांग्लादेश के निर्माण में योगदान देने वाला था। **पंजाबी सूबा आंदोलन** ने पंजाबी भाषी राज्य की मांग की और 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। इन आंदोलनों ने भारतीय संघीय ढाँचे को प्रभावित किया और भाषाओं को लेकर राज्य और केंद्र के बीच नए समझौते और नीतियाँ बनवाईं। भाषायी अस्मिता के संघर्षों ने भारतीय राजनीति और समाज को आकार दिया, और यह साबित किया कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का भी हिस्सा है।

### REFERENCES

1. भारतीय संविधान - भाग XVII (भाषा से संबंधित प्रावधान)
2. "India's Language Debates: The Politics of Hindi and English" - लेखक: रोहित देसाई
3. "The Dravidian Movement and the Politics of Tamil Identity" - लेखक: एम.एस.एस. पंडियन
4. "Linguistic States and Federalism in India" - लेखक: पी.एन. महेश्वरी
5. "Panjabi Suba Movement: A Historical Analysis" - लेखक: कुलदीप सिंह
6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पुस्तकें
7. भारत सरकार के भाषा विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट्स